

कार्यालय ग्रामोद्योग (हाथकरघा)
जिला पंचायत खण्डवा

क्रमांक हा/ग्रामो./11-12/

खण्डवा, दिनांक- /07/2011

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
जिला खण्डवा म.प्र.

विषय :- ग्रामोद्योग विभाग के हाथकरघा कार्यालय की जानकारी बाबत।

संदर्भ :- कलेक्टर महोदय द्वारा समय-सीमा बैठक दिनांक 25/07/2011 में दिये निर्देशानुसार।

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में ग्रामोद्योग विभाग के हाथकरघा कार्यालय की जानकारी हार्डकॉपी एवं मय सी.डी. के आपकी ओर संलग्न कर प्रस्तुत है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी,
जिला पंचायत खण्डवा

ग्रामोद्योग विभाग (हाथकरघा), जिला पंचायत खण्डवा

मध्य प्रदेश शासन ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत आयुक्त हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के अधिनस्थ जिला हाथकरघा कार्यालय जिला पंचायत खण्डवा में वर्ष 2006 से कार्यरत है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी की पदस्थापना माह नवम्बर 2010 से की गई है। कार्यालय द्वारा औद्योगिक समितियों, स्व-सहायता समूह एवं व्यक्तिगत हितग्राहियों को विभागीय योजना के माध्यम से वित्तीय आधार सुदृढ़ करने एवं आवश्यक मशीनरी हेतु आर्थिक सहायता एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है।

1) विभाग की योजना का परिचय :-

विभाग द्वारा वर्ष 2011-2012 में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

1) हाथकरघा विकास योजना

अ) प्रशिक्षण एवं कार्यशील पूंजी हेतु अनुदान :-

हाथकरघा उद्योग के पूर्णजीवन एवं विकास हेतु नवीन बुनकरों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 10 प्रशिक्षणार्थियों को बुनाई का बुनियादी प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षक को प्रतिमाह राशि रूपये 5,000/- का मानदेय, कच्चे माल हेतु राशि रु. 200/-, अन्य खर्च हेतु राशि रूपये 100/- एवं प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह राशि रु. 500/- छात्रवृत्ति देने का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2010-2011 के लिये राशि रु. 80,000/- का प्रावधान रखा गया है।

ब) कार्यशील पूंजी अनुदान :-

योजनान्तर्गत हाथकरघा समितियों, बुनकरो और समूहों को कार्यशील पूंजी हेतु 33प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

2 कुटीर उद्योग :-

औद्योगिक सहकारी संस्थाओं, समूहों और कारीगरों को कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु प्लांट एवं मशीनरी और कार्यशील पूंजी हेतु 33 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2011-2012 में राज्यांश मद में राशि रूपये 4,00,000/- का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के समूहों एवं व्यक्तिगत हितग्राहियों को प्लाट एवं मशीनरी हेतु 50 प्रतिशत की पात्रता है। कार्यशील पूंजी हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत राशि का $\frac{1}{3}$ अनुदान प्रदत्त किया जाता है।

3. बुनकर स्वास्थ्य बीमा :-

इस योजना का उद्देश्य बुनकरों को स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करना है। बुनकरों द्वारा राशि रूपये 90 का अंशदान करने पर राज्य सरकार द्वारा राशि रूपये 90/- का अंशदान एवं भारत सरकार द्वारा रु. 781.60/- का अंशदान किया जाता है। परिवार के चार सदस्यों को वर्ष में राशि रूपये 15,000/- तक की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिले में वर्तमान में 6 हाथकरघा बुनकर होने से वर्ष 2011-2012 के राशि रूपये निरंक का प्रावधान किया गया है।

कुटीर उद्योग में सम्मिलित उद्योग :-

औद्योगिक समिति, स्व-सहायता समूह एवं उद्यमीयो को कुटीर एवं लघु उद्योग के अंतर्गत 22 प्रकार के उद्योग जैसे - चर्म शोधन, चमड़े का सामान, मिट्टी के बर्तन बनाना, धान एवं अनाजों की हाथ से कुटाई, बेकरी, तेल पिराई, ताड का गुड, गन्ने का गुड व खाण्डसारी, फलों एवं सब्जियों की डिब्बा बंदी, कृषि व वन उत्पादों का निर्माण, अन्य ग्रामीण उद्योग, हस्त शिल्प उद्योग, सामान्य अभियांत्रिकी, रासायनिक उद्योग, निर्माण सामाग्री, रेशम उद्योग, कताई कार्य, सूती एवं अन्य वस्त्र उद्योग, सामान्य अभियांत्रिकी, छपाई-मुद्रण, लकड़ी का काम एवं फर्नीचर, विविधि उद्योग, में मशीन एवं उपकरण हेतु लागत राशि के लिये अनुदान दिया जाता है । यह अनुदान की सीमा सामान्य वर्ग हेतु 33 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, वर्ग हेतु पचास प्रतिशत है । इन सब में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन करना और हितग्राहियों को आत्म निर्भर बनाना मुख्य उद्देश्य रहेगा ।

वर्ष 2010-11 में 02 स्व-सहायता समूह, 05 व्यक्तिगत हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुए रू. 3.30 लाख का उपयोग किया गया ।

ग्रामोद्योग अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नंबर
के.के. नागराज - 99775-44923

वर्ष 2010-11 के हितग्राहियों की सूची

क्र.	हितग्राही का नाम (प्राथमिकतावार)	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	वर्ग	शिक्षा	बी.पी. एल. क्रमांक
1	श्री जाकिर हुसैन, खण्डवा	रहीम बख्श	पुरुष	32	अल्पसंख्यक	12वीं	—
2	श्री रघुनाथ पटेल, खण्डवा	पंढरी पटेल	पुरुष	30	सामान्य	12वीं	—
3	जय भोले स्व-सहायता समूह, खण्डवा	—	—	—	—	—	—
	1 श्री शंकर पासी	कोमल पासी	पुरुष	28	सामान्य	10वीं	—
	2 श्री शिवचरण	रामू	पुरुष	42	सामान्य	8वीं	—
	3 श्रीमती हिराबाई	रामप्रसाद	महिला	36	सामान्य	5वीं	—
	4 श्री नंदलाल	कोमल	पुरुष	25	सामान्य	10वीं	—
	5 श्री नवल	रामू	पुरुष	42	सामान्य	8वीं	—
	6 श्री पुरुषोत्तम	कोमल	पुरुष	26	सामान्य	8वीं	—
	7 श्री राजकुमार	गणपत	पुरुष	28	सामान्य	10वीं	—
	8 श्रीमती निशाबाई	नंदलाल	महिला	24	सामान्य	5वीं	—
	9 श्रीमती सुन्दरबाई	शंकर	महिला	27	सामान्य	5वीं	—
	10 श्रीमती सीमाबाई	पुरुषोत्तम	महिला	24	सामान्य	5वीं	—
4	जयश्री दादाजी स्व-सहायता समूह, खण्डवा	—	—	—	—	—	—
	1 श्री राजेश	रमेश	पुरुष	26	सामान्य	8वीं	—
	2 श्री किशन	काशीराम	पुरुष	47	सामान्य	5वीं	—
	3 श्री देवानंद	रामू	पुरुष	34	सामान्य	10वीं	—
	4 श्रीमती उमाबाई	किशन	महिला	44	सामान्य	5वीं	—
	5 श्रीमती गुलाबी बाई	राजकुमार	महिला	26	सामान्य	5वीं	—
	6 श्री नरसिंग	नवल	पुरुष	20	सामान्य	10वीं	—
	7 श्रीमती राधाबाई	राजेश	महिला	24	सामान्य	5वीं	—
	8 श्रीमती अनीताबाई		महिला	28	सामान्य	5वीं	—
	9 श्री तोताराम	किशन	पुरुष	21	सामान्य	5वीं	—
	10 श्रीमती आशाबाई	नवल	महिला	37	सामान्य	5वीं	—
5	श्री श्यामसिंह चौहान, भोजाखेडी	प्यारसिंह चौहान	पुरुष	48	सामान्य	स्नातक	—
6	श्री मृदूल बारचे, खण्डवा	जगन्नाथ बारचे	पुरुष	48	सामान्य	स्नातक	—
7	श्री शकील अहमद, बरूड	जमील अहमद	पुरुष	40	अ.पि.वर्ग.	12वीं	—